

न्यायालय सिविल जज, हरिद्वार।

मूलवाद संख्या — 226/2022

कम्प्यूटर नम्बर — 220/2022

श्रीमति उषा बनाम रोढा सिंह

दिनांक— 03.04.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। वादिनी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई हेतु नियत चली आ रही है। पूर्व तिथि पर वादी को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किया गया था। उसके बावजूद भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः वाद आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

(विवेक सिंह राणा)
सिविल जज, हरिद्वार।